

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013—चैत्र 15, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. 398-रा.स.-यू.ए.-5-2013.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ग) एवं (घ) के अन्तर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

1. (क) धारा 22(2)(क)—पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/ शिक्षाविद :-

(1) डॉ. दत्तात्रेय विठ्ठल रांगनेकर, सलाहकार, पशुधन अनुसंधान एवं विकास, 4, शोभना अपार्टमेन्ट, नेहरू पार्क, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015.

(2) डॉ. नरेन्द्र सिंह परिहार, पूर्व विभागाध्यक्ष, पशु व्याधि विभाग (आई.व्ही.आर.आई.) इज्जतनगर, बरेली (उ.प्र.)

(ग) धारा 22(2) (ग)—पशु पालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि

डॉ. ए. जी. खान, कुक्कुट उद्योग के सलाहकार, 395, नर्मदा नगर, शास्त्री वार्ड, जबलपुर-482004.

(घ) धारा 22 (2) (घ)—एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता

डॉ. दीपाली देशपांडे, बंगला नं. 23, शिवकुंज, रेल्वे हाउसिंग सोसायटी, ई-8, अरेरा कालोनी, भोपाल-462038.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,  
विनोद कुमार चतुर्वेदी, वास्ते राज्यपाल के उपसचिव.